संख्या-7/2026/2168/सैंतीस-2-2025/001-1(2)/2020टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 जनवरी, 2026

विषयः- **अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 लिडिंग वाद (सम्बद्ध वाद संख्या 87/2008, 88/2008, 89/2008 व 90/2008) श्री शंकर बनाम उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य में मा0 औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दैनिक श्रमिकों को उनकी बैठकीय अवधि का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3229/बजट/29(5)/30/16/2025-26, दिनांक-26.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 लिडिंग वाद (सम्बद्ध वाद संख्या 87/2008, 88/2008, 89/2008 व 90/2008) श्री शंकर बनाम उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य में मा0 औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दैनिक श्रमिकों को उनकी बैठकीय अवधि 03 माह की औसत मजदूरी का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 15,600/- का भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-0.15600 लाख (रूपये पन्द्रह हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,600 (रुपये पन्द्रह हजार छह सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403000010300 निदेशालय **मानक मद** 42 अन्य व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-7/2026/2168(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(2)/2020टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।